यू0ओ0: ना.व./XXXVI(1)/08

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक: 24 अक्टूबर, 2008.

विषयः– जिला देहरादून में आपराधिक मामलों के संचालन हेतु नामिका अधिवक्ता का आबन्धन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोकहित में जिला देहरादून में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष फौजदारी वादों के संचालन हेतु श्री कु0 हरजीत कौर, अधिवक्ता, को शासनादेश संख्याः 135–एक(1)/XXXVI(1) /2006 दिनांक 26 सितम्बर, 2006 द्वारा नामिका अधिवक्ता हेतु निर्धारित फीस की दरों पर नामिका अधिवक्ता के रूप में आबन्धन–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक के लिए आबद्ध किया जाता है। आबन्धन–पत्र संलग्न है।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित अधिवक्ता का आबन्धन–पत्र उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित सहमति, आयु का प्रमाण–पत्र, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा उनके आवास का विवरण प्राप्त कर शासन को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

3. कु0 हरजीत कौर, अधिवक्ता यदि इस समय सपक्ष आयुक्त, नोटरी या इस प्रकार के अन्य किसी शासकीय पद अथवा सम्बद्ध पद पर कार्यरत हों, तो उनसे उक्त पद से त्याग–पत्र प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी सूचना शासन को दी जाए।

4. मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि यदि आबद्ध अधिवक्ता लिखित सहमति तथा अपेक्षित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें तो आप मजिस्ट्रेट न्यायालयों में फौजदारी वादों का संचालन, नामिका अधिवक्ता के रूप में उक्त अधिवक्ता से प्रारम्भ करा दें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव

संख्याः 05 ना.व.(1)/XXXVI/ (एक)2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– जिला न्यायाधीश, देहरादून ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ।
5– विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7– कु0 हरजीत कौर, अधिवक्ता, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून ।
8– एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव